

बार्कलेज

नाम निर्देशन का नमूना - ड.अ.१

बैंक में रकम जमा करने लिए बैंकिंग नियमल अधिनियम, १९४९ की धारा ४५, ४६ और बैंकिंग आस्थापना नाम निर्देशन नियम, १९८५ के नियम २.१ के तहत नाम निर्देशन,

मैं/हम (अर्जीदार का स्पष्ट अक्षर में नाम और पता)		
खाते संख्या	नाम	पता

मेरे, हमारे, अज्ञान के मृत्यु पश्चात बार्कलेज बैंक पीएलसी ने उक्त खाते की जमा रकम जिन्हें देनी है उन निम्न व्यक्ति को मैं नाम निर्देशित करता हूँ।

नाम निर्देशन की जानकारी,				
नाम: श्रीमान <input type="checkbox"/> /श्रीमती <input type="checkbox"/> /सुश्री <input type="checkbox"/>	पता	जमाकर्ता से रिश्ता, कुछ हो तो	उम्र	जन्म तारीख

अनिवासी खाता और जमा के नाम निर्देशन की जानकारी					
खाता अथवा जमा का प्रकार	नाम निर्देशन का नाम	नाम निर्देशन का पता	खाता धारक से रिश्ता	वय	जन्म तारीख
एन.आर.ड. बचत					
एन.आर.आर. बचत					
एन.आर.ओ. टी.डी.					
एन.आर.ड. टी.डी.					
एफ.सी.एन.आर. टी.डी.					

आज की तारीख में नाम निर्देशित अज्ञान है तो मैं हम नाम निर्देशित अज्ञान होते वकत मेरे हमारे अज्ञान के जमा धारक के मृत्यु पश्चात नाम निर्देशित के नाम से जमा रकम लेने हेतु श्रीमान/ सुश्री/ श्रीमती पता को नियुक्त करता हूँ।

तारीख

स्थल

दस्तखत/
अंगुठे का निशान

दस्तखत/
अंगुठे का निशान

बैंक खाता पत्रक और मुद्रित जमा सलाह इस पर नाम निर्देशित का नाम गोपनीय रखना मैं कबूल करता हूँ। होय नाही

अंगुठा रहेगा तो साक्षीदार जरूरी है।		
नाम	पता	दस्तखत
१		
२		

सूचना : मात्र एक व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकते हैं।

अज्ञान के नाम पर रकम जमा है तो अज्ञान के नाम से कानूनन लागू व्यक्ति ने नाम निर्देशन पर दस्तखत करनी है।

घोषणा पत्र (नाम निर्देशन सुविधा जरूरी नहीं हो तो)

मैं हम यह कथन करता हूँ कि, लागू अधिनियम से बैंक ने दिए हुए नाम निर्देशन सुविधा का महत्व में पता और समझा हूँ, मात्र नाम निर्देशन सुविधा बिना खाता खोलना मैं हम ने तय किया है।

दस्तखत/
अंगुठे का निशान

दस्तखत/
अंगुठे का निशान